

811

को पेश है। *रि*

6/10/2022

पत्रांक पेडा इडी/वकील वाही उप०। वाही वकील द्वारा
हावा अन्तर्गत धारा 83, 188 R/A नोट-पुल
कर खारिज करवाने बाबत इंटरपोजिंग
ही गई। वाही वकील को सुना गया। वाही
वकील के हस्ताक्षर करवाये गये। वाही वकील
द्वारा ही गई इंटरपोजिंग के आधार पर
वाही का हावा इली स्तर पर खारिज किया जाता है।
पत्रावली कुलल शुमार होकर दाखिल इफ्तार हो।

Note
press

Shamsher Singh

6/10/22

W
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)